



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-16.05.2024

विषय:- “आपरेशन कन्विकशन” के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना चौबेपुर में आर्म्स एक्ट के मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व 1000/- रु0 अर्थदण्ड ।

थाना चौबेपुर, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0-261/2000 धारा 25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त शीतल सिंह पुत्र स्व0 परमानंद सिंह निवासी रामपुरढाब थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी को प्रभारी निरीक्षक चौबेपुर व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक-15.05.2024 को माननीय न्यायालय ACJM-06 वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त शीतल सिंह उपरोक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व 1000/- रु0 के अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त, वरुणा जोन
कमिश्नरेट वाराणसी।